

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरलाल सिंह बनाम गुरपाल सिंह

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 13 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/255

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल  
हुकम

नम्बर व  
तारीख अहकाम  
जो इस हुकम  
की तामील में  
जारी हुए

19.06.2025

प्रार्थी गुरलाल सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 36/35 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 37/36 के मुरब्बा नम्बर 36, 69/2 की कुल 0.457 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

२१/०९/२५

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
धारा 148 (फ) CPC को प्रस्तुत किए  
90 दिवस से अधिक का समय हो  
चुका है। अब इस प्रकरण में कोई  
कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (फ) CPC  
धारिण किया जाता है। पत्रावली निर्णित  
दोकर नम्बर से कप्त होकर वापस  
रफ्तार हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

